न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
37 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	11.05.2018	18.02..2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1– श्री एफ.बी.ओ. श्री जम्बू कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन उम्र 28 साल जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 24, कृष्णा कॉलोनी, निवाई जिला टोंक मैसर्स पुष्पदन्त किराना स्टोर कीर कॉलोनी टोंक रोड़ निवाई जिला टोंक राज0
2– मैसर्स पुष्पदन्त किराना स्टोर कीर कॉलोनी टोंक रोड़ निवाई जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) (v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री विक्रम जैन अभिभाषक,अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 18.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.01.2018 को समय 12.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पुष्पदन्त किराना स्टोर कीर कॉलोनी टोंक रोड़ निवाई जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री जम्बू कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन उम्र 28 साल जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 24, कृष्णा कॉलोनी, निवाई जिला टोंक मैसर्स पुष्पदन्त किराना स्टोर कीर कॉलोनी टोंक रोड़ निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसके बारे में जानकारी लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे एक प्लास्टिक के कट्टे मे लगभग 15 किलोग्राम **लाल मिर्च पावडर (खुला)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री जम्बू कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता जम्बू कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 15 किलोग्राम **लाल मिर्च पावडर (खुला)** रखे हुये मे से 2 किलोग्राम इलेक्ट्रोनिक तोलने की मशीन से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री जम्बू कुमार जैन को रू0 280/–अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर (खुला)** खरीदशुद्वा 2 किलोग्राम को अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक के डिब्बो मे 500–500 ग्राम भरकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1821 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1821 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. जम्बू कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./20[illegible]62[illegible] दिनांक 13.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा [illegible] मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/12/एक्ट/2018/18 [illegible] अनुसार जम्बू कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन नं02.3.14(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का **लाल मिर्च पावडर (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **लाल मिर्च पावडर (खुला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के यहां से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (खुला)** का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री जम्बू कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन उम्र 28 साल जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 24, कृष्णा कॉलोनी, निवाई जिला टोंक मैसर्स पुष्पदन्त किराना स्टोर कीर कॉलोनी टोंक रोड निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 12,500 (अक्षरे बारह हजार पाँच सौ रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:16:07 IST
Reason: SelfAttested

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0